अध्याय 7

आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचनाओं की पुनर्स्थापना

अध्याय– 7 : आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचनाओं की पुनर्स्थापना

7.1 आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचनाओं की पुनर्स्थापना

पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापना हेतु आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (आ प्र रा नी) जिसे उत्तराखण्ड सरकार के आपदा प्रबन्धन पर रा आ मो नि के दिशा-निर्देशों के साथ पढ़ा जाए, लक्षित करते हैं कि आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचनाओं यथा बिजली, पानी, मार्गों, पुलों इत्यादि के शीघ्र पुनर्निर्माण सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इनकी मरम्मत/ पुनर्स्थापना आपदा की घटना की तिथि के 60 दिनों के अन्दर की जानी चाहिए। अधिक स्थायी प्रकृति के पुनर्निर्माण कार्य जिसमें भवनों के कार्य भी सम्मिलित हैं, आदर्शरूप में दो से तीन वर्षों के अन्दर पूर्ण किए जाने चाहिए। लेखापरीक्षा ने पुनर्स्थापना के कार्यों के आंकलनों एवं स्वीकृतियों की प्रक्रिया तथा पुनर्स्थापना हेतु उत्तरदायी विभिन्न हितधारकों द्वारा उनके जनादेश को पूरा करने में लिए गये समय का विश्लेषण किया था और जिनके महत्वपूर्ण निष्कर्षों को निम्नलिखित प्रस्तरों में दिया गया है:-

7.1.1 आवश्यक सेवाओं की पुनर्स्थापना

(i) प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए विभाग/ अभिकरण के पास भ्रम की स्थिति से बचने एवं लागत और समय की दक्षता में सुधार के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित आपदा प्रतिक्रिया योजना और आपदा प्रतिक्रिया प्रणालियाँ होनी चाहिए। चयनित जनपदों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पता चला कि जून 2013 की आपदा के कारण 1,876 गाँवों की विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई थी। तथापि प्रभावित गाँवों की विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से जुलाई/ सितम्बर 2013 में बहाल कर दी गयी थी। इन गाँवों में स्थायी रूप से विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए उत्तराखण्ड पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड (यू पी सी एल) द्वारा ज आ प्र प्रा को विद्युत पुनर्स्थापना कार्य के 182 प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया था। इनमें से 145 कार्य (80 *प्रतिशत*) ज आ प्र प्रा द्वारा स्वीकृत किए गये थे, जिसके सापेक्ष 126 कार्य जनवरी 2015 तक ₹ 4.53 करोड़ व्यय कर पूर्ण किए गये। इस प्रकार, आपदा घटित होने की तिथि से 20 माह बीत जाने के पश्चात भी शेष स्थानों में विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई थी।

खेत (पिथौरागढ़) में बाधित विद्युत संरेखण लाइन
03.01.2015

36 गाँवों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पता चला कि जनवरी 2015 तक दो गाँवों (छह *प्रतिशत*) (न्यू सोबला एवं खेत, पिथौरागढ़) में विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं की गई थी। 14 गाँवों (39 *प्रतिशत*) में विद्युत आपूर्ति 15 दिन से सात माह तक के विलम्ब से बहाल की गई थी।

(ii) आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति बहाल करने हेतु विभाग द्वारा तैयार किसी मा प्र का या योजनाओं के अभाव में लेखापरीक्षा यह ज्ञात नहीं कर सका कि किस प्रकार जल आपूर्ति बहाल करना प्रस्तावित किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि आपदा के समय कोई भी आकस्मिक योजना विद्यमान नहीं थी एवं प्रभावित क्षेत्रों में जल आपूर्ति तदर्थ आधार पर बहाल की गयी थी। 651 क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव जुलाई-सितम्बर 2013 में संबंधित ज आ प्र प्रा को प्रस्तुत किए गये थे। तथापि, फरवरी 2015 तक मात्र 393 योजनाओं (60 *प्रतिशत*) की बहाली के लिए ही ज आ प्र प्रा द्वारा निधिया प्रदान की गई थीं। 393 स्वीकृत जल योजनाओं में से 40 कार्य (10 *प्रतिशत*) 60 दिन की निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कुल ₹ 65.74 लाख व्यय कर पूर्ण किए गये थे। 194 कार्य (49 *प्रतिशत*) छः माह के अन्दर ₹ 4.96 करोड़ व्यय कर पूर्ण किए गये थे एवं शेष 154 कार्य (39 *प्रतिशत*) ₹ 4.49 करोड़ व्यय कर छः माह की अवधि के परे पूर्ण किए गये थे। पाँच कार्य (एक *प्रतिशत*) फरवरी 2015 तक अभी भी प्रगति पर थे। इन आवश्यक कार्यों को पूर्ण करने की विफलता ज आ प्र प्रा एवं कार्यदायी संस्थाओं की कमजोरी को उजागर करता है।

सयुंक्त भौतिक सत्यापन में पता चला कि जनवरी 2015 तक दो गाँवों (न्यू सोबला, पिथौरागढ़ एवं फलाटी, रूद्रप्रयाग) में आवश्यक सेवाएं जैसे कि पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं की गई थी।

(iii) लोक निर्माण विभाग (एक प्रमुख रेखीय विभाग) राज्य में सड़क नेटवर्क के निर्माण/ रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, ग्राम सड़कें एवं सीमांत मार्ग सम्मिलित हैं। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि रेखीय विभाग ने 15-17 जून 2013 की अवधि में उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिए न तो कोई मा प्र का तैयार की थी एवं न ही उनके पास कोई आकस्मिक योजना विद्यमान थी। पाँच चयनित जनपदों में ₹ 64.94 करोड़ की लागत से स्वीकृत 733 कार्यों में से 705 कार्य ₹ 46.38 करोड़ व्यय कर पूर्ण किए गये थे (फरवरी 2015) एवं शेष 28 कार्य प्रगति पर थे।

7.1.2 पुनर्स्थापना के कार्यों का आंकलन, स्वीकृति एवं समापन

अधिनियम के अनुसार जनपद स्तरीय समितियों को किसी आपदा की आशंका या आपदा की स्थिति के कारण होने वाली हानियों का आंकलन करना आवश्यक है।

जून 2013 की आपदा के फलस्वरूप चयनित जनपदों के ज आ प्र प्रा ने उनसे संबंधित ₹ 557.72 करोड़[1] के क्षतिग्रस्त अवसरंचनाओं की सूचियाँ शासन को प्रस्तुत की (जून/अगस्त 2013)। इस आंकलन के सापेक्ष, शासन ने मात्र ₹ 127.04 करोड़ स्वीकृत किए। यह पाया गया कि घटना की तिथि के एक माह के अंदर

[1] चमोलीः ₹ 72.57 करोड़, पिथौरागढ़ः ₹ 60.02 करोड़, रूद्रप्रयागः ₹ 141.89 करोड़ एवं उत्तरकाशीः ₹ 283.24 करोड़ ।

जनपद स्तरीय जाँच समितियां (ज स्त जाँ स) मात्र आठ *प्रतिशत* कार्यों को ही स्वीकृति के लिए संस्तुत कर सकीं। ज स्त जाँ स द्वारा अधिकतर कार्य छः माह की अवधि के पश्चात स्वीकृति के लिए संस्तुत किए गये। यह दर्शाता है कि जि स्त जाँ स कार्यों के निष्पादन की संस्तुति में तत्पर नहीं थीं। इसी प्रकार, ज आ प्र प्रा भी ज स्त जाँ स द्वारा संस्तुत कार्यों के निष्पादन की स्वीकृति देने में तत्पर नहीं थे क्योंकि घटना की तिथि के प्रथम तीन माह में वे मात्र 46 *प्रतिशत* कार्यों को ही स्वीकृत कर सके। इसलिए इन समितियों के गठन के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी। फलस्वरूप, अधिकांश पुनर्स्थापना के कार्यों को समय पर आरम्भ नहीं किया जा सका।

इंगित किए जाने पर, संबंधित जिला प्रशासनों ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014-फरवरी 2015) कि निधियों की कमी के कारण कार्यदायी संस्थाओं को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब हुआ। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इन कार्यों की स्वीकृति विलम्ब से जारी करने से रा आ मो नि के माध्यम से पुनर्स्थापना के निधिकरण का मूल प्रयोजन एवं उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। आगे, क्योंकि जिला प्रशासनिक कार्यालयों को टी आर–24 के अन्तर्गत धन आहरित करने की अनुमति दी गई थी, इसलिए निधि की कमी का प्रश्न ही नहीं उठता जैसा कि ऊपर वर्णित है।

विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किए गये क्षतिग्रस्त अवसरंचनाओं के पुनर्स्थापना का विवरण निम्नवत है:-

तालिका: 7.1

(*₹ करोड़ में*)

जनपद का नाम	स्वीकृत कार्य		15-17 जून 2013 के अधीन कार्य		पूर्ण कार्य		प्रगतिरत कार्य		अनारम्भ कार्य	
	कुल कार्य	राशि	कुल कार्य	राशि	संख्या	व्यय	संख्या	व्यय	संख्या	लागत
चमोली	307	25.59	261	23.42	236	18.37	24	1.35	01	0.01
पिथौरागढ़	489	21.12	489	21.12	471	13.85	14	4.30	04	0.09
रूद्रप्रयाग	475	40.67	475	40.67	453	29.07	15	0.89	07	0.67
टिहरी	393	21.61	356	20.62	253*	13.90	07	0.38	00	00
उत्तरकाशी	349	21.21	349	21.21	333	14.88	14	0.52	02	0.05
योग	2,013	130.20	1,930	127.04	1,746	90.07	74	7.44	14	0.82

स्रोतः ज आ प्र प्रा द्वारा प्रदत्त अभिलेखों से उद्धृत सूचना।

** ज आ प्र प्रा के पास 96 कार्यों की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।*

लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि जून 2013 की आपदा से संबंधित 1,930 कार्यों में से 1,746 कार्य (90 *प्रतिशत*) ₹ 90.07 करोड़ के व्यय के पश्चात दो माह से लेकर 12 माह से अधिक के विलम्ब से पूर्ण किए गये थे, ₹ 7.44 करोड़ की राशि के 74 कार्य प्रगतिरत थे एवं ₹ 0.82 करोड़ मूल्य के 14 कार्य फरवरी 2015 तक आरम्भ ही नहीं किए गये थे।

एक विशेष प्रकरण में शासन द्वारा ₹ 71.15 लाख की राशि फरवरी 2014 में नारकल्ला खेड़ाघाटी, तहसील पुरोला, (उत्तरकाशी) में सम्पर्क मार्ग के निर्माण एवं लकड़ी के सेतु बिछाने हेतु स्वीकृत किया गया था। निर्माण

के विरुद्ध तत्पश्चात जिला प्रशासन ने इस दलील पर निर्णय लिया कि संबंधित सड़क प्र मं ग्रा स यो के अन्तर्गत पूर्व से ही निर्माणाधीन थी। क्षति के आंकलन में ऐसे कार्य को सम्मिलित करना आवश्यक प्रकृति के कार्यों के चिन्हीकरण मे उद्यम की कमी को दर्शाता है।

इंगित किए जाने पर संबंधित ज आ प्र प्रा ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014 – फरवरी 2015) कि निधियों की कमी एवं आगणनों के समय पर प्राप्त न होने के कारण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण नहीं किया जा सका। तथापि, इस संबंध में कार्यदायी संस्थाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जायेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ज आ प्र प्रा के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध थीं क्योंकि उत्तराखण्ड सरकार ने ज आ प्र प्रा को कोषागार नियम 24 (टी आर - 24) के अधीन कोषागार से आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आकस्मिक प्रकृति के कार्यों हेतु निधियों को आहरित करने हेतु प्राधिकृत किया था। आंगणनों की प्राप्ति में विलम्ब के संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि समस्त आंगणन आपदा की घटना की तिथि के तीन माह के अन्दर ज आ प्र प्रा में प्राप्त हो गये थे।

36 गाँवों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, 26 (72 *प्रतिशत*) गाँवों ने सूचित किया था कि क्षतिग्रस्त अवंसरचनाओं जैसे प्राथमिक विद्यालयों, चिकित्सालयों, छात्रावासों, पंचायत भवन, सड़कों, पुलों, पुलिया, जल योजनाओं, विद्युत, अश्वमार्ग इत्यादि की मरम्मत या पुनर्निर्माण अभी तक नहीं हुआ है।

7.1.3 निधियों का आंशिक विमोचन

अधिनियम के अनुसार आपदा के अधीन प्रभावित समस्त कार्य अविलम्ब निष्पादित किए जाने चाहिए।

अभिलेखों की जाँच में पता चला कि पाँच चयनित जनपदों में से तीन जनपदों (चमोली, पिथौरागढ़ एवं टिहरी) ने सम्पूर्ण स्वीकृत राशियों को इन निर्देशों के साथ कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त किया कि कुछ राशियों को रोका जाए एवं तीसरे पक्ष के निरीक्षण रिपोर्टों की प्राप्ति के पश्चात अवमुक्त की जाए। दो अन्य जनपदों रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी ने राशियाँ आंशिक रूप से अवमुक्त की (क्रमशः 75 *प्रतिशत* एवं 70 *प्रतिशत*)। इस प्रकार, आपदा प्रभावित जनपदों में पुनर्स्थापना के कार्यों हेतु निधियों को अवमुक्त करने में एकरुपता नहीं थी।

7.1.4 कार्यों के निष्पादन में मानदण्डों का उल्लंघन

रा आ मो नि के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की मरम्मत/ पुनर्स्थापन के लिए सहायता मात्र चिन्हित क्षेत्रों में एवं तत्काल प्रकृति के मरम्मत हेतु ही अनुमन्य है। इस प्रकार के व्यय अधिकांशतः आपदा की प्रारम्भिक अवधि के दौरान सामान्य रूप से अल्प अवधि में किए जाने होते हैं। विभागों को अपनी नियमित अवसंरचनाओं के रख-रखाव के लिए पर्याप्त वार्षिक रख-रखाव हेतु बजट रखने होते हैं एवं इस प्रकार के नियमित रख-रखाव के व्यय रा आ मो नि से वहन नहीं किए जाने हैं। बारहवें वित्त आयोग के प्रस्तर 9.13 के अनुसार क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की मरम्मत/ पुनर्स्थापन जिनमें विस्तृत विश्लेषण/ आंकलन की आवश्यकता हो, योजना निधि से कराए जाने हैं। तथापि राज्य सरकार ने रा आ मो नि का उपयोग अधिकांशतः विवेकाधीन निधि के रूप में किया एवं योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानदंडों की अनदेखी की। ₹ 24.11 करोड़ की अनुमानित लागत के 159 कार्यों को जो तत्काल पुनर्स्थापन की श्रेणी में नहीं आते थे, स्वीकृत किए गये थे। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:-

(i) टिहरी में ₹ 1.15 करोड़ की धनराशि के 16 कार्य जून 2013 आपदा की आड़ में स्वीकृत एवं निष्पादित किए गये थे जबकि ये 16 कार्य वर्ष 2012 में क्षतिग्रस्त हुए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये कार्य पूर्व में (03.06.2013) जिला प्रशासन द्वारा संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को वापस कर दिए गये थे क्योंकि सरकार द्वारा निधियां स्वीकृत नहीं की गई थी। जिला प्रशासनिक कार्यालय ने निर्देशित किया था कि इन कार्यों को विभागीय बजट के माध्यम से किया जायेगा। पूर्व वर्ष के कार्यों को पुनः जून 2013 में स्वीकृति किया जाना न केवल रा आ मो नि के दिशा-निर्देशों के विपरीत था अपितु इसे भी संदिग्ध बनाया कि ये कार्य विशुद्ध रुप से तत्काल पुनर्स्थापन प्रयोजनों के लिए ही किए जा रहे थे। इंगित किए जाने पर जिला प्रशासन ने उत्तर दिया (फरवरी 2015) कि इन कार्यों को जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों के अनुरोध पर स्वीकृत किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि रा आ मो नि के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त अवसंरचनाओं की मरम्मत/ पुनर्स्थापन हेतु सहायता मात्र तत्काल प्रकृति की मरम्मत हेतु ही मान्य है। चूँकि ये कार्य वर्ष 2012 से संबंधित थे, इनको सामान्य विभागीय बजट के माध्यम से ही आरम्भ किया जाना चाहिए था।

(ii) ज आ प्र प्रा ने चमोली में गोविन्दघाट-गुरुद्वारा सम्पर्क मार्ग पर अलकन्दा नदी के ऊपर 110 मीटर वैली पुल के निर्माण हेतु ₹ 3.33 करोड़ इस तथ्य के बावजूद स्वीकृत किया (मार्च 2014) कि गोविन्दघाट में अलकनन्दा के दोनों सिरों के बीच अस्थायी संयोजकता प्रदान करने का अनुमन्य कार्य जून 2013 में ही (ट्राली) स्वीकृत किया गया था एवं लकड़ी का पुल ₹ 10.37 लाख के व्यय से अक्टूबर 2013 में निर्मित किया गया था।

गोविन्दघाट (चमोली) में नया बैली पुल 16.10.2014

इस प्रकार, एक नये सस्पैंसन वैली पुल की स्वीकृति स्पष्ट रूप से रा आ मो नि के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था। इंगित किए जाने पर, ज आ प्र प्रा ने उत्तर दिया कि वैली पुल के निर्माण की स्वीकृति स्थानीय आकांक्षाओं एवं यात्रा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रदान की गई थी। .

(iii) जनपद चमोली में तहसील थराली के हरमनी गाँव के पास पिंडर नदी के ऊपर एक सस्पैंसन पुल जून 2013 की आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। ज आ प्र प्रा ने सस्पैंसन पुल के अबेटमैन्ट के निर्माण हेतु ₹ 52 लाख इस आधार पर स्वीकृत किया (मार्च 2014) कि यह कार्य स्वीकृति के समय आबादी की आवाजाही के लिए जनहित में था जो जुलाई 2014 में आरम्भ हुआ एवं लेखापरीक्षा की तिथि तक प्रगतिरत था । यह रा आ मो नि के मानदंडों के विपरीत था क्योंकि तत्काल संयोजकता प्रदान करने हेतु अस्थायी पुनर्स्थापन के कार्य पूर्व में ही ₹ 16.62 लाख के व्यय से सम्पादित किये जा चुके थे। इंगित किए जाने पर ज आ प्र प्रा ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि ग्रामीणों के अनुरोध एवं स्थानीय

आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य को रा आ मो नि के अन्तर्गत स्वीकृत एवं निष्पादित किया गया ताकि आम जनता के लिए स्थायी सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। ज आ प्र प्रा का उत्तर निर्धारित मानदंडों के अनुकूल नहीं था जो मात्र मरम्मत/ पुनर्स्थापन कार्यों के निष्पादन की ही अनुमति प्रदान करता है।

(iv) ज आ प्र प्रा ने पिथौरागढ़ में (मार्च 2014) कंचोती के पास तवाघाट, नारायण आश्रम में 122 मीटर स्टील डैक सस्पैंसन वैली पुल के निर्माण हेतु ₹ 5 करोड़ इस तथ्य के बावजूद स्वीकृत किया कि ज आ प्र प्रा द्वारा ₹ 26.49 लाख के व्यय से कंचोती एवं नारायण आश्रम के दोनों सिरों के बीच अस्थायी संयोजकता पुनर्स्थापित कर दी गई थी (जून 2014)। कार्य की स्थिति का पता लगाने के लिए ज आ प्र प्रा के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया (जनवरी 2015)। यह पाया गया कि बाँयी ओर के अबैटमेन्ट का निर्माण हो चुका था एवं दाहिने ओर के अबैटमेन्ट का निर्माण भूमि की अनुपलब्धता के कारण होना शेष था। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.68 करोड़ मूल्य की सामग्री क्रय कर ली गई थी (अप्रैल 2014) एवं निर्माण स्थल पर निष्क्रिय पड़ी थी, जैसा तस्वीर में देखा जा सकता है। इस प्रकार, ₹ 4.06 करोड़ के व्यय के पश्चात भी कार्य अपूर्ण था। इंगित किए जाने पर ज आ प्र प्रा ने उत्तर दिया (जनवरी 2015) कि उ स द्वारा कार्य रा आ मो नि के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था। ज आ प्र प्रा ने इस संदर्भ में मात्र स्वीकृति जारी की थी। ज आ प्र प्रा का उत्तर रा आ मो नि के निर्धारित मानदंडों के अनुकूल नहीं था जो नये कार्य को छोड़कर मात्र मरम्मत/ पुनर्स्थापन कार्यों की अनुमति प्रदान करते हैं।

कंचोती (पिथौरागढ़) में नया स्टील डैक सस्पैंसन बैली पुल 03.01.2015

कंचोती (पिथौरागढ़) में निर्माण स्थल पर निष्क्रिय पड़ी सामग्री 03.01.2015

(v) ₹ 12.06 करोड़ मूल्य के 117 कार्य[2] सुरक्षात्मक कार्यों से संबंधित थे। इनमें से 43 कार्य बाढ़ सुरक्षा, 36 कार्य पुलों के अबैटमेन्टों की सुरक्षा एवं 38 कार्य सीमेंट एवं कंक्रीट संरचनाओं इत्यादि के थे। सुरक्षात्मक कार्य तत्काल प्रकृति की श्रेणी में नहीं आते हैं। लेखापरीक्षा का यह मत है कि सरकार को बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों को अपने सामान्य आपदा न्यूनीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रारम्भ करने चाहिए। राज्य में बाढ़ नियंत्रण के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को अपने वार्षिक बजटों में आवश्यक बजटीय प्रावधान करने हेतु तदनुसार निर्देशित किया जाना चाहिए था। जहाँ तक पुलों के अबैटमेन्ट के सुरक्षात्मक कार्यों का संबंध है, यह पुलों की मरम्मत एवं राज्य में निर्विध्न सड़क संयोजकता के लिए उत्तरदायी मुख्य कार्यदायी संस्थाओं द्वारा पूर्व में ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार, इन 117 अस्वीकार्य कार्यों पर ₹ 12.06 करोड़ की धनराशि की स्वीकृति अनियमित थी।

(vi) रा आ मो नि आकस्मिक बाढ़ के कारण पुल क्षतिग्रस्त हो जाने पर नदी के दोनों सिरों के बीच तत्काल संयोजन हेतु निधि प्रदान करता है। यह अस्थायी संयोजकता 60 दिन की एक छोटी सी अवधि के अन्दर प्रदान की जानी थी। चयनित पाँच जनपदों की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि अक्टूबर 2013 एवं मार्च 2014 के मध्य कम से कम 11 ट्रालियाँ ₹ 1.19 करोड़ की अनुमानित लागत से स्वीकृत किए गये थे। इन ट्रालियों को चिन्हित स्थानों पर छः से ग्यारह माह के विलम्ब से लगाया गया जिसके कारण स्थानीय लोगों को अपने गन्तव्य तक पहुँचने के लिए चार से पाँच किमी अतिरिक्त लम्बे मार्ग पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे उनकी समस्याएँ और जटिल हो गईं।

(vii) पहले से ही निर्माणाधीन कार्यों (रुदीला, तिनसोली नागजगई, तिलवाड़ा एवं तल्ला सिल्गर) के सापेक्ष ₹ 0.40 करोड़ की लागत की चार जल योजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

(viii) नये कक्षों के निर्माण हेतु ₹ 14.13 लाख के दो कार्यों (रा इं का, जयंती कोठियाडा एवं क्यून्जा) को स्वीकृत किया गया (मार्च 2014)। यद्यपि कार्यों को तत्काल प्रकृति के रुप में वर्णित कर स्वीकृति किया गया था, जनवरी 2015 तक कार्य अभी भी प्रगतिरत थे।

(ix) नई टिहरी कस्बे में आन्तरिक सड़कों की मरम्मत हेतु ₹ 31.56 लाख की लागत के छः कार्य स्वीकृत किए गये थे। ये कार्य स्थानीय निकायों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं एवं इसी निकाय द्वारा अनुरक्षित/ मरम्मत की जानी चाहिए थी। इसके स्थान पर ये कार्य रा आ मो नि के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करते हुए रा आ मो नि से निष्पादित किए गये थे।

7.2 प्रभावित जनसंख्या का पुनर्वास

राज्य में पुनर्वास हेतु कुल 341 गाँवों को चिन्हित किया गया था। 341 गाँवों में से 245 गाँव चयनित जनपदों से संबंधित थे। चयनित जनपदों के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि पुनर्वास हेतु चिन्हित 245 गाँवों में से 145 गाँवों को जून 2013 की आपदा से पूर्व चिन्हित किया गया था एवं 100 अतिरिक्त गाँवों को उसके पश्चात चिन्हित किया गया जिन्हें जून 2013 की आपदा के कारण पुनर्वासित करने की आवश्यकता थी।

[2] चमोलीः 13 कार्य (₹ 1.13 करोड़), पिथौरागढ़ः 38 कार्य (₹ 3.31 करोड़), रूद्रप्रयागः 14 कार्य (₹ 2.08 करोड़), टिहरीः 14 कार्य (₹ 1.36 करोड़), उत्तरकाशीः 38 कार्य (₹ 4.18 करोड़)।

जून 2013 की आपदा में 31 पूर्व चिन्हित गाँव जिनकी जनसंख्या 1,709 थी, प्रभावित हुए थे एवं इन गाँवों द्वारा अब तक वहन की गई कुल हानियाँ ₹ 3.40 करोड़ थी। इन 31 गाँवों में से 16 गांवों का सर्वेक्षण पूर्व से ही वर्ष 2012 में कर लिया गया था। इसलिए, कम से कम इन 16 गाँवों को पुनर्वासित किया जाना चाहिए था एवं इन गाँवों की सम्पत्ति को बह जाने से बचाया जा सकता था।

उ स द्वारा इन गाँवों के पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठाए गये सिवाय जनपद रुद्रप्रयाग के एक गाँव, चट्टीगाँव को छोड़कर जिसका पुनर्वास सरकार द्वारा किया गया बताया गया था।

इंगित किए जाने पर संबंधित जिला प्रशासनिक कार्यालयों ने उत्तर दिया कि प्रकरण का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाना है। विभाग ने इन प्रभावित गाँवों के पुनर्वासन हेतु निधियाँ उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की। विभाग ने आगे उत्तर दिया (मार्च 2015) कि रा आ मो नि आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु निधियाँ उपलब्ध नहीं कराता है। इसलिए, केन्द्र सरकार को इनकी सहायता हेतु अनुरोध किया गया था (सितम्बर 2010)। तथापि, राज्य के पास जो भी संसाधन थे, इन गाँवों के चिन्हीकरण हेतु प्रारम्भिक जाँच में व्यय किये जा रहे थे।

7.3 निष्कर्ष

रेखीय विभागों ने आपदा के समय न तो कोई मा प्र का तैयार की थी एवं न ही उनके पास कोई आकस्मिक योजना विद्यमान थी। ज स्त जां स एवं ज आ प्र प्रा द्वारा अधिकतर कार्य आपदा के घटित होने के छः माह पश्चात स्वीकृत किए गये थे। तत्काल प्रकृति के कार्यों के निष्पादन एवं आवश्यक सेवाओं के पुनर्स्थापन में भी विलम्ब पाया गया था। अधिकतर कार्यों को दो माह से लेकर 12 माह तक से अधिक विलम्ब से पूर्ण किया गया था। ज आ प्र प्रा द्वारा आपदा प्रभावित जनपदों में पुनर्स्थापन कार्यों हेतु निधियाँ अवमुक्त करने में कोई एकरूपता नहीं पायी गई। ज आ प्र प्रा द्वारा रा आ मो नि के मानदंडों का उल्लघंन करने वाले कार्यों को भी स्वीकृत किया गया। आपदा के पूर्व चिन्हित किए गये गाँवों के पुनर्वास के लिए उ स द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गये।

7.4 अनुशंसायें

1. *राज्य सरकार को एक उचित तंत्र यह सुनिश्चित करने हेतु बनाना चाहिए कि आकस्मिकता का सामना करने के लिए रेखीय विभाग अपने मा प्र का एवं कार्य योजनाएं तैयार करें।*
2. *ज आ प्र प्रा को रा आ मो नि के अन्तर्गत पुनर्स्थापन कार्यों हेतु निधियाँ अवमुक्त करने में एकरूपता सुनिश्चित करनी चाहिए।*
3. *कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली विद्यमान की जानी चाहिए।*
4. *जिन गाँवों को पुनर्वासित किया जाना आवश्यक है उनके लिए सुरक्षित स्थानों के चिन्हीकरण में तेजी लाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।*